न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 305/24 दर्ज तिथिः–02.12.2024

1. डुंगरा पुत्र दला
2. कुम्भाराम पुत्र दलाराम
   जाति मेघवाल निवासी केशरिया धाम, खारडी बेरी, तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. नथा पुत्र दला
2. मेहरा पुत्र दला
   जाति मेघवाल निवासी केशरिया धाम, खारडी बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार नोखड़ा

............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री ठाकराराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 569/138/1.1169 है0 मौजा केशरिया धाम तथा अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 570/138/1.1169 है0 मौजा केशरिया धाम, पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त आराजी का मूल खसरा संख्या 138 था।

2. इस प्रकार मूल खसरा संख्या 138 के विभाजन से उपरोक्त नवसृजित खसरान की तरमीम मौके पर अंकित दिशाओं के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार सही नहीं की गई। प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से रास्ता हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 571/138/0.1376 है0 का अवस्थित है। उक्त रास्ते की तरमीम करते वक्त भूलवश खसरा संख्या 570/138/1.1169 है0 व 569/138/1.1169 है0 की तरमीम पूर्व दिशा में कर दी गई। जबकि असल में रास्ते की तरमीम करते वक्त भूलवश खसरा संख्या 570/138/1.1169 है0 व 569/138/1.1169 है0 की तरमीम प्रार्थीगण की आराजी के पश्चिम दिशा में परिशिष्ट—अ के अनुसार करनी थी। इस प्रकार उक्त तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के बिल्कुल विपरीत है। इससे प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र को स्वीकार करने पर सहमति प्रदान करते हुए परिशिष्ट—अ के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर लिखित अनापत्ति पेश की। प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

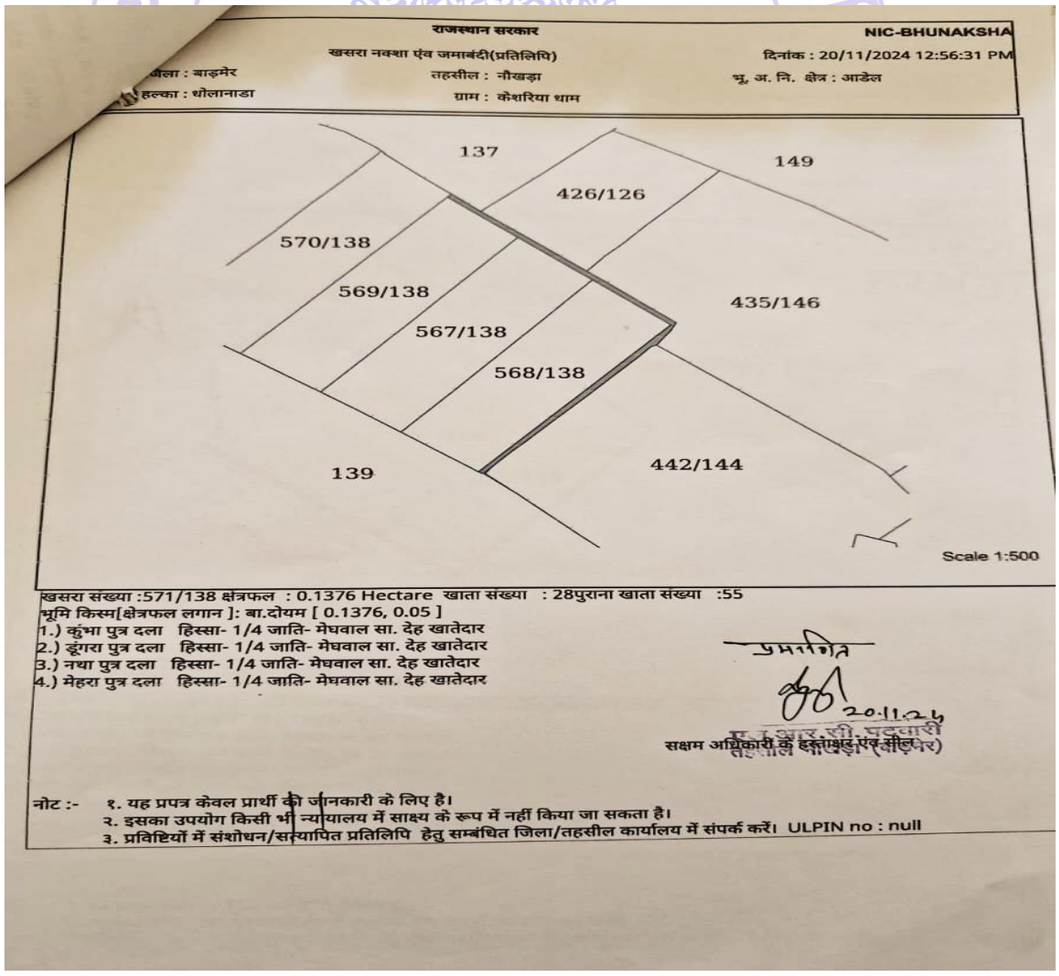

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से रास्ता हेतु खसरा संख्या 571/138/0.1376 है0 का अवस्थित है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 570/138/1.1169 है0 व 569/138/1.1169 है0 में पूर्व दिशा में अवस्थित है। जो कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—अ के बिल्कुल विपरीत है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

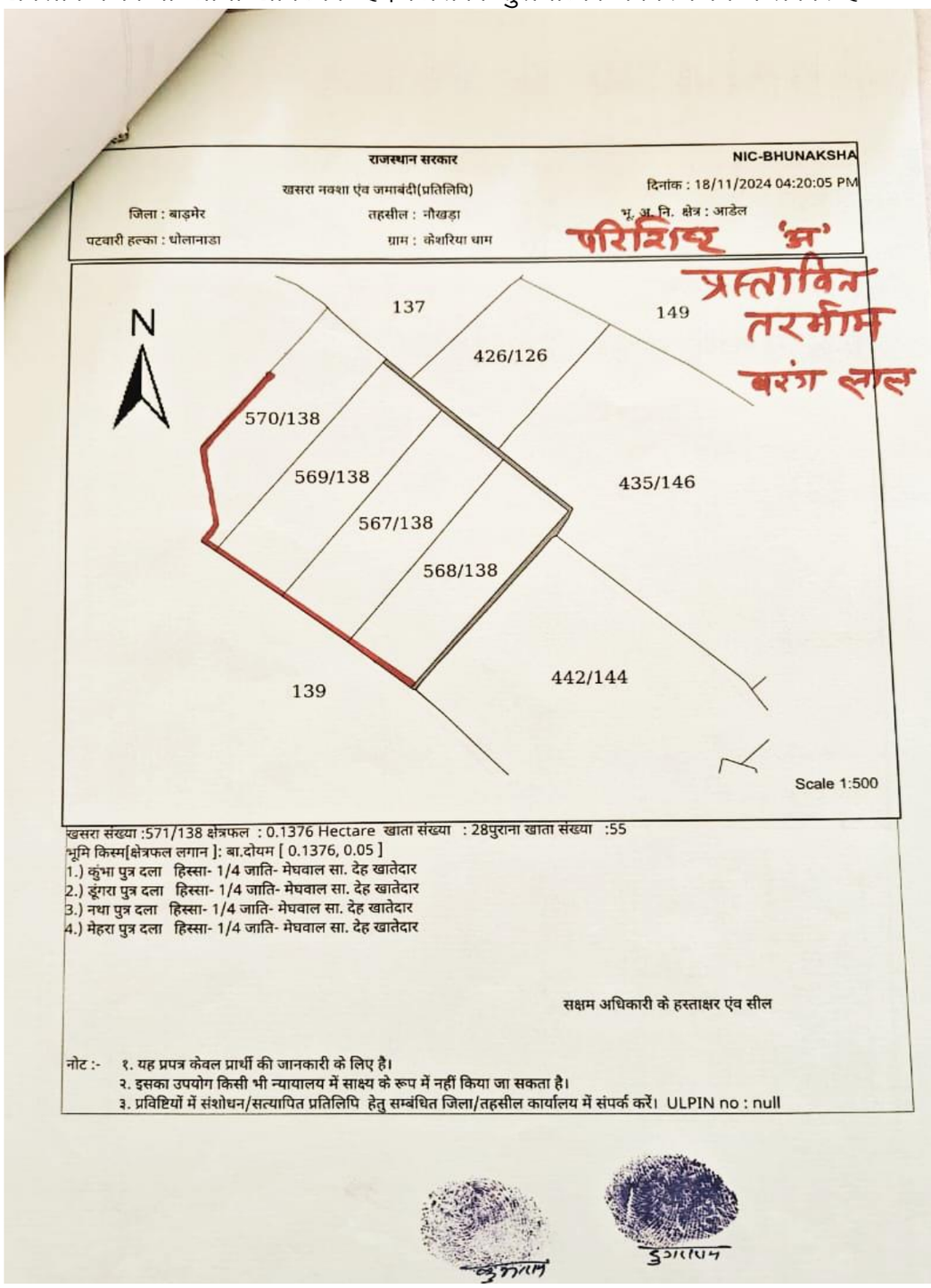

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तरमीम के संशोधन हेतु सहमति के आधार पर हाल राजस्व नक्शा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—अ का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से रास्ता हेतु खसरा संख्या 571/138/0.1376 है0 का अवस्थित है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 570/138/1.1169 है0 व 569/138/1.1169 है0 में पूर्व दिशा में अवस्थित है। जो कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—अ के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा के अनुसार एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट—अ के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी के सेढा सेढ चलित रास्ता का रकबा समान है। परन्तु प्रार्थीगण के अनुसार वर्तमान चलायमान रास्ता व वर्तमान राजस्व नक्शा में अंकित दिशाओं व मौके पर चलायमान के मुताबिक तरमीम नहीं की जाकर विपरीत तरमीम की हुई है। उक्त अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु वर्तमान चलायमान रास्ता के अनुसार अंकित दिशाओं व मौके पर चलायमान रास्ते के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—अ एवं अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—अ में बरंग लाल के अनुसार तरमीम दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। परिशिष्ट—अ निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested